न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/331

पांचू आयु 80 वर्ष आत्मज श्री रामा बैरवा जाति ग्राम पीपलवासा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार हिण्डोली ने नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 1968 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्त कराने का पेश कर कथन किया कि पॉचू आत्मज रामा जाति बैरवा निवासी पीपलवासा को ग्राम पीपलवासा की आराजी खसरा नम्बर 811/1104 की रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा दिनांक 03.12.1975 को आवंटित की गई थी । सम्पूर्ण रकबे पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2016 के द्वारा तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1975 निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.06.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट पांचू ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । इस न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2019 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया ।

5. तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2019 के द्वारा अप्रार्थी पांचू आत्मज रामा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के आधार पर उनके पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1975 निरस्त कर वादग्रस्त आराजी कब्जेराज जिलया जाकर सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2019 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि आवंटी के आवंटन को 40 वर्ष बाद मात्र कयास के आधार पर खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि अपीलान्ट ने अपना आवंटन करवाने में किस प्रकार का धोखा किया और क्या गलत तथ्य बताये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन निरस्त कर दिया । अपीलान्ट द्वारा समस्त आवंटन शर्तों की पालना की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन दिनांक 02.08.2019 को दिया । नकल दिनांक 07.08.2019 को प्राप्त होने पर पढने पर सम्पूर्ण तथ्यों का ज्ञान हुआ । निर्णय दिनांक 17.06.2019 से जानकारी दिनांक 07.08.2019 तक का समय मुजरा दिये जाने पर अपील अन्दर अवधि माना जाना आवश्यक है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन, नियम 1968 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम पीपलवासा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 811/1104 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा आराजी का आवंटन किया गया । मौके पर आवंटी का कब्जा नहीं है, आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है । अतः आवंटन निरस्त किया जावे। पूर्व में इस न्यायालय के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था । अपीलान्ट को सन् 1975 में आवंटन हुआ था, अपीलान्ट तब से ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशों की पालना

किये बिना पुनः आवंटन खारिज कर दिया । कयास के आधार पर आवंटन खारिज किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा आवंटन में किसी प्रकार धोखा किया गया इसका कोई विवेचन निर्णय में नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2019 निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट के पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रखा जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2019 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 29.06.2016 को लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आवंटन खारिज करने का आदेश पारित किया गया था जिसकी अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.02.2019 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था । इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय के बिन्दु संख्या 11 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आवंटन सन् 1975का है जिसे 41 वर्षों के बाद निरस्त किया गया है जबकि माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा कई नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि इतने पुराने आवंटन को **Fraud and misrepresentation** प्रमाणित होने पर ही खारिज किया जा सकता है परन्तु खेद का विषय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की है और अपने निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि अपीलान्ट ने किस प्रकार से **Fraud and misrepresentation** कर आवंटन करवाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकित किया है कि आवंटी का आवंटित आराजी पर कब्जा नहीं है, आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः आराजी को सिवायचक दर्ज किया जावे ।

13. अधीनस्थ न्यायलाय की पत्रावली पर आवंटन की पत्रावली संलग्न नहीं है । आवंटन आदेश की फोटो प्रति पत्रावली पर संलग्न है । आवंटन आदेश की फोटो प्रति का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवंटन राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (कृषि उपयोग हेतु आवंटन) नियम 1970 के तहत किया गया है । आवंटन नियम, 1970 के तहत जो आवंटन किया जाता है इसको खारिज करने का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर का होता है न कि उपखण्ड अधिकारी का । इस कारण इस प्रकरण में यह परीक्षण भी किया जाना अनिवार्य है कि उपखण्ड अधिकारी को आवंटन आदेश को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं । कब्जा देने की रिपोर्ट दिनांक

04.03.1976 की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी संलग्न है जिसके आधार पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानकर आवंटन खारिज किया गया है । मौका पर्चा दिनांक 13.06.2016 में यह अंकित किया गया है कि मौके पर पांचू अपीलान्ट का 04 बीघ 05 बिस्वा पर कब्जा है । रामदेव पिसरान रामा बेरवा का 3.05 बीघा भूमि पर, पोखर पिसरान रामा बैरवा का 2.05 बीघा, रंगलाल बाबू जंशी मोती पिसरान शोजी बैरवा का 3.00 बीघा पर काबिज काश्त हैं । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन शर्तों की पालना हुई है अथवा नहीं यह निर्धारण करने के लिए आवंटन के तुरन्त बाद के 02 वर्षों की खसरा गिरदावरी का अवलोकन किया जाना अनिवार्य है जिससे यह विनिश्चय किया जा सके कि आवंटन शर्तों के अनुसार आवंटी के द्वारा काश्त की गई है अथवा नहीं ।

14. अपीलान्ट के पक्ष में किया गया आवंटन सन् 1975 का है । दिनांक 13.06.2016 की पटवारी हल्का की रिपोर्ट में आवंटित आराजी में से कुछ आराजी पर आवंटी का और शेष आराजी पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा बताया गया है । इस रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्त किया जाना विधि–विरूद्ध है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 12 से 14 में किये गये विवेचन के मध्यनजर सर्वप्रथम क्षेत्राधिकार का निर्धारण कर उसके उपरान्त माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की पालना में नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 24.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24.8.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा